



आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर

दूरभाष संख्या- 0141-2201061

क्रमांक- प. 2429/संस्था/बीमा/2022/9801-51

दिनांक : 2-11-2022

परिपत्र


समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त / अतिरिक्त /  
संयुक्त / उपनिदेशक / सहायक निदेशक,  
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,  
मुख्यालय / संभाग / साबीयो / एमसीडीबीवाई /  
आरजीएचएस / जिला कार्यालय.....

विषय:- परिवीक्षाधीन कार्मिकों के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश आवेदनों के संबंध में

प्रायः यह देखने में आया है कि परिवीक्षाधीन कार्मिकों द्वारा असाधारण (अवैतनिक) अवकाश उपभोग करने के पश्चात् स्वीकृति हेतु अवकाश आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं, जो कि वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक F.1(2)FD/Rules/2006 Pt-I दिनांक 06.01.2020 के अनुसार सही नहीं है।

अतः संबंधित नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाग में कार्यरत समस्त परिवीक्षाधीन कार्मिकों के असाधारण अवकाश प्रकरण निम्नानुसार मुख्यालय को प्रेषित किये जावे :-

1. परिवीक्षाधीन कार्मिक द्वारा अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे।
2. संबंधित नियंत्रक अधिकारी परिवीक्षाधीन कार्मिक द्वारा प्रस्तुत असाधारण (अवैतनिक) अवकाश आवेदन को, आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक को ही अवकाश खाते के विवरण एवं अनुशांषा के साथ ई-मेल द्वारा संबंधित संभागीय अधिकारी के माध्यम से विभागीय मुख्यालय को प्रेषित करें।
3. यहां यह भी स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं कि अवकाश का उपभोग करने के पश्चात् प्रस्तुत असाधारण (अवैतनिक) अवकाश आवेदन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

  
(डॉ. बी.सी. बघाल)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 20-11-2022

क्रमांक:- प. 2429/संस्था/बीमा/2022/9852-61  
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. सिस्टम एनालिस्ट/संयुक्त निदेशक, सिस्टम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें।
2. संबंधित कार्मिकगण।
3. रक्षित पत्रावली/नोटिस बोर्ड मुख्यालय।



(सौम्या शर्मा)

संयुक्त निदेशक (संस्थापन)